शोध सारांश

शहरी एवं ग्रामीण स्वशासन में वार्ड स्तरीय नेतृत्व का तुलनात्मक अध्ययन

मनोज राजगुरु
मुख्य अनुसंधानकर्त्ता

स्थानीय शासन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुदृढ़ता प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। स्थानीय शासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि स्थानीय जनता, शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही, की स्थानीय विषयों पर अधिकाधिक सक्रिय सहभागिता ही स्थानीय शासन को सफल बनाती है। स्थानीय शासन की सफलताओं का मूल्यांकन समय–समय पर शासकीय एवं गैर शासकीय दोनो ही स्तर पर होता आया है। लेकिन इस दिशा में यह बात उल्लेखनीय है, कि स्थानीय शासन के मूल्यांकन का यह प्रयास मुख्यतः एक पक्षीय ही रहा है। उस संदर्भ में या तो पंचायतीराज संस्थाओं (ग्रामीण) का मूल्यांकन किया गया है या नगरीय निकायों (शहरी) का। स्थानीय शासन में दोनों ही स्तर की संस्थाओं का समान महत्व है। किंतु स्थानीय शासन की सफलता के मूल्यांकन में शासन के इन दोनों स्तरों के बीच तुलनात्मक अध्ययन न के बराबर हुआ है। स्थानीय शासन के इन दोनों रूपों में अंतर केवल क्षेत्रीय प्रकृति को लेकर है। अन्यथा संरचना, कार्यप्रणालि, शक्तियाँ आदि में समानता रखने का प्रयास किया गया है। समान संविधानिक व्यवस्था करने के साथ ही यह अपेक्षा भी की गई है, कि स्थानीय शासन के तहत ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही जगह स्थानीय समस्याओं और उनके समाधान में स्थानीय लोगों की सहभागीता न केवल इस व्यवस्था को सफल बनाएगी वरन् नेतृत्व के नए आयाम भी विकसित करेगी। लेकिन भारतीय संदर्भों में यह तथ्य भी गौर तलब है, कि हमारी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की स्थिति में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधारों पर तुलनात्मक रूप से व्यापक भिन्नताएँ है। इस भिन्नता के आधार पर ही यह कहना गलत नहीं होगा कि स्थानीय शासन के क्रियान्वयन में दोनों ही क्षेत्रों में समान स्थितियाँ खुलकर सामने नहीं आई है। नेतृत्व, आमजन की सहभागिता का स्तर, विकास की स्थिति आदि को लेकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समान स्थिति नहीं है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध प्रबंध में स्थानीय स्तर पर (ग्रामीण एवं शहरी) नेतृत्व के लेकर तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया हैं। नेतृत्व ही आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके हितों और मांगों को संरक्षित, सवंर्धित करता है। नेतृत्व ही लोगों की सहभागिता को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की राजनीति से जोड़ता है। नेतृत्व क्षेत्रीय अथवा स्थानीय विकास में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण बन जाता है कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के

माध्यम से स्थानीय स्तर पर उभर रहा नेतृत्व किस प्रकार का है। यह शोध ग्रामीण एवं शहरी निकायों में वार्ड स्तरीय नेतृत्व की तुलना पर आधारित है।

प्रस्तुत शोध स्थानीय निकायों में तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इस अध्ययन हेतु ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही स्तर की स्थानीय निकायों का अध्ययन आवश्यक था। अतः अध्ययन को संतुलित, प्रभावी एवं उपयोगी बनाने हेतु शोध को दक्षिण राजस्थान पर केंद्रित किया गया। दक्षिण राजस्थान में मुख्यतः उदयपुर, बांसवाड़ा, डुंगरपुर, चित्तौड़, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिले आते है। इन जिलों को समग्र बनाते हुए इनमें से अध्ययन की इकाई के रूप में लाटरी पद्धति से दो जिलों का चयन किया गया। इस प्रकार उदयपुर एवं राजसमंद जिले की स्थानीय निकायों को अध्ययन का आधार बनाया गया। अध्ययन को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए अध्ययन की इकाईयों की संख्या भी निर्धारित की गई। सर्वप्रथम उदयपुर जिले के उदयपुर, भिंडर, कानोड़, सलूंबर, फतहनगर, सनवाड़ निकायों मे से लाटरी द्वारा भिंडर और फतहनगर–सनवाड़ को लोटरी पद्धति द्वारा अध्ययन हेतु चुना गया। इसी प्रकार राजसमंद जिले के राजसमंद, नाथद्धारा, आमेट, देवगढ़ कुल चार नगरीय निकायों मे से देवगढ़ एवं राजसमंद, को अध्ययन हेतु लॉटरी पद्धति द्वारा चुना गया। इस प्रकार दोनों ही जिलों से दो–दो नगरीय निकाय अध्ययन इकाई के रूप में निर्धारित की गई। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी अध्ययन इकाई का निर्धारण किया गया। उदयपुर जिले मे कुल 12 पंचायत समितियाँ एवं 467 ग्राम पंचायते है। अतः अध्ययन हेतु इन पंचायत समितियों में से लोटरी द्वारा एक पंचायत समिति मावली और उसकी चार ग्राम पंचायतो बोयणा, जेवाणा, नांदवेल और थामला को अध्ययन हेतु लॉटरी द्वारा चुना गया। इसी तरह राजसमंद जिले में कुल 7 पंचायत समितियाँ एवं 205 ग्राम पंचायते है। अध्ययन हेतु पंचायत समितियों में से एक पंचायत समिति रेलमगरा और उसकी चार ग्रम पंचायतों बामनिया कला, गोगाथला, कुंडिया, और पिपली अहिरान को अध्ययन हेतु लॉटरी द्वारा चुना गया।

स्थानीय शासन में वार्ड स्तरीय नेतृत्व के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित यह शोध कुल चार अध्यायों में विभक्त है। इन सभी अध्यायों के माध्यम से शोध को अधिक प्रामाणिक, सार गर्भित एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। प्रथम अध्याय को मूलतः अनुसंधान परिचय पर केंद्रित किया गया है। जिसके तहत शोध समस्या का परिचय देते हुए अध्ययन के महत्व और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है। साहित्य की समीक्षा के तहत शोध से जुड़े विभिन्न पुस्तकों, अध्ययनों को विषय के संदर्भ में स्पष्ट किया गया। इसके उपरांत शोध से जुड़े प्राकल्पना को स्पष्ट करते हुए अध्ययनरत क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। शोध के दौरान अपनायी गई अध्ययन पद्धति का प्रस्तुत करते हुए अंततः शोध का सारांश अध्याय विवरण के रूप में किया गया है।

दूसरे अध्याय में स्थानीय शासन के अवधारणात्मक परिचय को स्पष्ट करते हुए स्थानीय शासन के अर्थ, आवश्कता, महत्व इसके विकास को प्रस्तुत किया गया है। विकास की इस मात्रा में स्वतंत्रता पश्चात स्थानीय शासन की दिशा में उठाए गए संवैधानिक प्रयासों का भी विशेष उल्लेख किया गया है जिसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन को भी शामिल किया गया है। इसी अध्याय में नेतृत्व से जुड़े कुछ सैद्धांतिक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है।

अध्याय तीन में शोध विषय से संकलित तथ्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण एवं शहरी निकायों में वार्ड स्तरीय नेतृत्व जिस रूप में उभर रहा है, उसके स्वरूप और प्रकृति को इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न बिंदुओं के आधार पर दोनों ही स्तर के नेतृत्व में एक तुलनात्मक चित्रण इस अध्याय में प्रस्तुत है। अंतिम अध्याय चार में निष्कर्षतः यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है कि ग्रामीण एवं शहरी स्तर की निकायों में उभर रहे नेतृत्व में कहाँ का नेतृत्व अधिक प्रभावी एवं कार्यकुशल कहा जा सकता है, कौनसा नेतृत्व पिछड़ा हुआ है, उसके पिछड़ेपन के कारण क्या है और किस समाधानों के माध्यम से इस उभरते वार्ड स्तरीय नेतृत्व को अधिक प्रभावी बनाकर स्थानीय निकायों को मजबूत बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में शोध के दौरान संकलित तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर कई बातें निष्कर्ष के रुप में प्रस्तुत की जा सकती है–

- कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्तर का नेतृत्व शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्तर के नेतृत्व से राजनीतिक रूप से कम अनुभवी है। राजनीतिक दल की सदस्यता नेतृत्व को एक तरह का राजनीतिक प्रशिक्षण देती है। अतः जब राजनीतिक दल की कार्यप्रणालि का हिस्सा नहीं बनेगें तब तक अनुभव नहीं मिलेंगें। इस रूप में विशेषकर महिला नेतृत्व में यह स्थिति ज्यादा पिछड़ी हुई है।

- स्थानीय चुनावों में चुनाव लडने का फैसला बड़ा अहम होता है। विशेषकर रोटेशन प्रणाली के तहत। अतः ऐसे समय समर्थकों की भूमिका निर्णायक होती है। यद्यपि स्थानीय स्तर के निकायों में राजनीतिक दलों की भूमिका सैद्धांतिक तौर पर नहीं होती है। अतः इस कारण क्षेत्रवासियों की मांग पर चुनाव लड़ने वाले नेतृत्व का महत्व बढ़ जाता है। दोनों ही स्तरों पर स्थानीय चुनावों में क्षेत्रवासियों की इच्छा को ही महत्व दिया जाना चाहिए किंतु हकिकत इसमे अलग ही है।

- स्थानीय स्तर के चुनावों में सैंद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों ही कारणों से एक बार स्थानीय हुआ नेतृत्व पुनः चुनाव नहीं लड़ पाता है। इसी कारण हर चुनाव में नए नेतृत्व का उभार होता है। स्थानीय मसलों के समाधान हेतु अनुभवी नेतृत्व की आवश्यकता रहती है। लेकिन व्यवस्था कुछ इस प्रकार स्थापित हो

चुकी है कि एक बार उभरा नेतृत्व पुनः या तो चुनाव लड़ नही पता। यह स्थिति एक कुशल, प्रभावी नेतृत्व के विकास में बाधक है।

- आरक्षण की व्यवस्था से संतुष्टि को जांचने पर पता चलता है कि यद्यपि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों का अधिकांश नेतृत्व आरक्षण की व्यवस्था से संतुष्ट है फिर भी तुलनात्मक रूप से संतोष का यह भाव शहरी क्षेत्र के नेतृत्व की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र के नेतृत्व में ज्यादा है। इसी तरह जेंडर के आधार पर भी स्पष्ट है कि पुरूष नेतृत्व में ज्यादा है। इसी तरह जेंडर के आधार पर से ज्यादा संतुष्ट नजर आती है कारण इस व्यवस्था को माध्यम में वे अपने प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित मानती है।

- स्थानीय चुनावों में स्थानीयता को ज्यादा महत्व देने हेतु माध्यमों का महत्व होना चाहिए या नही। माध्यम के रूप में राजनीतिक दल की भूमिका (चुनावों के संबंध में) को ग्रामीण क्षेत्र का नेतृत्व कम तरजीह देता है जबकि शहरी नेतृत्व ने राजनीतिक दल को विशेष तरजीह दी है। लेकिन यह तथ्य गौरतबल है कि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही स्तर के स्थानीय निकायों में महिला नेतृत्व पुरूष की तुलना में राजनीतिक दलों की भूमिका (स्थानीय चुनावों के संबंध में) को कम पसंद करता है।

- शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही स्तर के स्थानीय नेतृत्व स्थानीय क्षेत्रीय विकास को मुख्य चुनावी मुद्दा मानते है यह इन स्थानीय निकायों के लिए शुभ संकेत है। क्षेत्रीय विकास को संतुलित करने के लिए सभी प्राथमिक आवश्यकताओं वाले मुद्दों को महत्व देना जरूरी है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय नेतृत्व द्वारा इसी सोच को रखना इन स्थानीय संस्थाओं के विकास में नेतृत्व की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- स्थानीय चुनावों में धन की बढ़ती भूमिका और महत्व की भी शोध के दौरान पुष्टि हुई। ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लगभग 32–34ः उत्तरदाताओं द्वारा पृथक–पृथक रूप से यह स्वीकारना कि स्थानीय चुनावों में धन वाला जीत सकता है, यह प्रमाणित करता है कि धन का महत्व दिनो दिन स्थानीय स्तर पर बढ़ता जा रहा है। पुरूष नेतृत्व की तुलना में महिला नेतृत्व इस तर्क की पुष्टि कही अधिक अच्छे तरीके से करता है।

- यदि ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही स्तर के नेतृत्व के स्थानीय निकायों में होने वाली बैठकों में उपस्थिति के देखे तो पता चलता है कि क्षेत्रीय आधार पर ग्रामीण क्षेत्र उका नेतृत्व, शहरी क्षेत्र के नेतृत्व से तुलनात्मक रूप से अधिक सक्रिय रूप से निकायों की बैठकों में नियमित रहते है। नेतृत्व की अन्य कार्यों में व्यस्तता इसका एक बड़ा कारण कहा जा सकता है। यहीं कथन है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में महिला नेतृत्व की उपस्थिति पुरूष नेतृत्व की तुलना में ज्यादा रहती है।

- स्थानीय निकायों के कार्यों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु वार्ड वासियों को भी सहभागी बनाना जरूरी है, और इसके लिए वार्ड सभा का आयोजन करना वार्ड पार्षद (नेतृत्व) का दायित्व है। किंतु अभी भी जन नेतृत्व का एक अच्छा खासा हिस्सा वार्ड सभा की जानकारी नहीं रखता है। जहाँ पुरूषों की तुलना में महिला नेतृत्व के भी विशेषकर शहरी महिला नेतृत्व इस मामले में कमजोर कहा जा सकता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के नेतृत्व की तुलना में शहरी क्षेत्र का नेतृत्व भी इस आधार पर पिछड़ा ही कहा जा सकता है।

- कोई भी नेतृत्व तभी प्रभावी होता है ज वह उन लोगों की समस्या सुलझाने में सक्रिय रहता है जिनका वह प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। इस दृष्टि से देखे तो ग्रामीण क्षेत्र का नेतृत्व शहरी क्षेत्र के नेतृत्व से कुछ पीछे है, कारण वह स्थानीय निकायों में स्थानीय समस्याओं व मुद्दों को उतने प्रभावी ढंग से नहीं उठा पाता है, जितने शहरी नेतृत्व द्वारा उठाए जाते है। इसी तरह महिला नेतृत्व विशेषकर ग्रामीण महिला नेतृत्व में भी अभी पुरूष नेतृत्व और शहरी महिला नेतृत्व जितनी क्षमताएं विकसित नहीं हुई है। यद्यपिइ स संबंध में स्थिति इस व्यवस्था के प्रारंभ की तुलना में वर्तमान में कहीं हद तक संतोष प्रदान करने वाल है।

- यह कहना गलत नहीं होगा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जन प्रतिनिधि अपनी हर मांग व समस्या का समाधान नहीं करवा पाते है। व्यवहार में यह संभव भी नहीं है, किंतु कई जन प्रतिनिधि ऐसे भी होते है, जो न तो सजग रहते है न ही शक्तियों का प्रयोग करते है और न ही दबाव की राजनीति करते है, फलतः उनकी मांगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। यही स्थिति उनकी नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिह्न लगाती है। अतः जरूरी है, कि स्थानीय नेतृत्व जहाँ ग्रामीण स्तर का हो या शहरी स्तर का, पुरूषों का हो या महिलाओं का अभी भी उनमें प्राप्ति सुधार की गुंजाईश है। अज्ञानता, संकोच, पुरूष मानसिकता, दबदबें की राजनीति, दलीय पक्षपात कई कारणों के चलते नेतृत्व का सही तरह से उभार नहीं हो पा रहा है।

- स्थानीय निकायों संबंधी कार्यों का संचालन करने हेतु नियमों एवं कानूनों की जानकारी रखना आवश्यक है। लेकिन शोध के आंकड़े बताते है, कि शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के नेतृत्व में नियम कानूनों को जानने का रूझान थोड़ा कम है। जेंडर आधार पर भी स्पष्ट है कि पुरूष नेतृत्व की तुलना में महिला नेतृत्व अज्ञानता व संकोच के चलते निर्वाचन के पश्चात नियमों को जानने का प्रयास कम ही करते है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के महिला नेतृत्व में यह प्रवृत्ति नजर आती है। आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि पुरूष नेतृत्व की तुलना में महिला नेतृत्व खुद के प्रयासो से नियमों को जानने का

प्रयास कम ही करती है, वे पूर्व प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर अधिक है, जो कि शोचनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति ज्यादा चिंताजनक नजर आती है।

- स्थानीय निकायों में कार्यों में सभी नेतृत्व की भागीदारी को महत्व दिया जाना चाहिए। आंकडे बताते है कि ग्रामीण क्षेत्र में पुरूष एवं महिला दोनों ही नेतृत्व को निर्णय प्रक्रिया में सहभागी बनाया जाता है। यह बात और है कि यथार्थ में महसूस करने पर इस सहभागीता की प्रकृति को जांचना महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर भी इतना तो सत्य है कि भले ही औपचारिक रूप से बनाया जाता हो लेकिन ग्रामीण नेतृत्व शहरी नेतृत्व की तुलना में निर्णय निर्माण में अधिक सहभागी है। पुरूषों की तुलना में स्त्रियों का सहभागी बनाया जाना भी आश्चर्य तो करता है किंतु इस सहभागिता की प्रकृति को जांचना भी शोध का विषय बन पड़ता है।

- शोध के दौरान एकत्रित तथ्य देखकर आश्चर्य होता है कि स्थानीय शासन की इस व्यवस्था को लागू होने के 15–20 वर्षों के बाद भी स्थानीय नेतृत्व को इस स्थानीय व्यवस्था के मूल संवैधानिक तथ्यों की जानकारी नहीं है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्थिति ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में आंशिक रूप से अच्छि कहीं जा सकती है। यह बात भी स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्रों में महिला एवं पुरूष नेतृत्व समान रूप में संवैधानिक व्यवस्था की जानकारी रखते है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में पुरूष नेतृत्व की तुलना में महिला नेतृत्व अभी भी इस दृष्टि से काफी पिछड़ा है। यह पिछड़ा पूरी व्यवस्था के प्रति ही एक प्रश्न चिह्न लगाता है।

- स्थानीय नेतृत्व जो मुख्यतः स्थानीय कार्यों को करने में अनुभव एवं ज्ञान हीन होता है उन्हें प्रशिक्षण लेने की आवश्कता है, किंतु शोध से स्पष्ट है कि ग्रामीण नेतृत्व की तुलना में शहरी नेतृत्व प्रशिक्षण पाने में ज्यादा उत्सुक एवं रूचिवान नहीं है। यद्यपि दोनों ही जगहों पर नेतृत्व पूर्णतः प्रशिक्षित नहीं है। इसी क्रम में यह कहना भी गलत नहीं होगा शहरी क्षेत्रों में पुरूष नेतृत्व में प्रशिक्षण पाने की लापरवाही शहरी महिलाओं से भी ज्यादा है। महिलाओं में इसके स्तर ग्रामीण महिलाएं शहरी महिलाओं की तुलना में प्रशिक्षण लेने में पीछे है, इसी कारण वे उनकी तुलना में उतना प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाती है।

- जेंडर विभेदता हमारी व्यवस्थाओं में सर्वकालिक रूप से चर्चा का विषय रहा है। शोध के आंकड़ों से भी स्पष्ट है कि किसी भी पुरूष उत्तरदाता ने, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का, महिला नेतृत्व को पुरूष नेतृत्व से बेहतर नहीं कहा है। महिला उत्तरदाताओं में भी केवल पुरूष नेतृत्व को बेहतर बताने वाले उत्तरदाता कम ही है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यद्यपि आंकड़ों को देखने पर इसे संतोषप्रद

स्थिति कहा जा सकता है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में 50 से 64ः उत्तरदाता महिला पुरूष नेतृत्व को समान रूप से बेहतर मानते है।

- शासन का स्तर प्रांतीय हो या स्थानीय, कार्य करने के लिए नेतृत्व में अनुभव की आवश्यकता रहती है। अनुभवी नेतृत्व यदि पुननिर्वाचन के द्वारा शासन में सहभागी हो तो शासन का कुशलता से संचालन किया जा सकता है। शोध के आधार पर स्पष्ट होता है कि शहरी अथवा ग्रामीण दोनो ही क्षेत्रों में स्थानीय नेतृत्व में पुननिर्वाचित होने की प्रबल इच्छा है यद्यपि दोनों ही जगह 25–30ः उत्तरदाताओं में इस इच्छा का अभाव है कह सकते है कि सभी मानवों से एक सी अपेक्षा नहीं की जा सकती लेकिन एक बड़ा वर्ग पुननिर्वाचन की इच्छा रखता है जो स्थानीय शासन के संदर्भ में अच्छा संकेत है। लेकिन इसी कड़ी में यह कहना भी गलत नहीं होना कि पुरूष नेतृत्व की तुलना में महिला नेतृत्व में पुननिर्वाचन की इच्छा कम है विशेषकर शहरी महिला नेतृत्व में। अतः इस दिषा में महिला नेतृत्व की सोच में बदलाव की आवश्यकता है।

- जब स्थानीय स्तर पर नेतृत्व अपने पांव जमा लेता है तो वह स्वयं को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में लाने की सोचता है। किंतु शोध के दौरान एकत्रित आंकड़ो से स्पष्ट है कि स्थानीय शासन में वार्ड स्तर पर उभर रहा आधा नेतृत्व बड़ा चुनाव लडना ही नहीं चाहता, कारण उसे वह आधार नहीं मिल पता है जो उसके आने का मार्ग प्रशस्त कर सके। यह तथ्य भी विचारणीय है कि एक और हम राजनीति में महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे है वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर उभर रही उन महिला नेतृत्व की संख्या ज्यादा नहीं है जो स्वयं को आगे भी राजनीति में लाना चाहती हो।

- अवसर की समानता, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समान भागीदारी जैसे विषयों की बात करने के बावजूद यदि हम यथार्थ में तो देखे तो स्थानीय शासन में आरक्षित वर्ग के नेतृत्व का एक बड़ा भाग आज भी स्वयं के निर्वाचित होने में आरक्षण व्यवस्था को अधिक उतरदायी मानता है। इनके अनुसार यदि आरक्षण न होता तो इन्हें निर्वाचित होने का अवसर नहीं मिल पाता। विशेषकर आरक्षित वर्ग से ग्रामीण पुरूष नेतृत्व एवं शहरी महिला नेतृत्व इसी प्रकार की सोच रखती है। यह सोच जन भागीदारी के समुदाय प्रतिनिधित्व की वास्तविकता पर प्रश्न लगाती है।

- एक प्रभावी नेतृत्व की सीपना हेतु यह जरूरी है कि नेतृत्व को आस–पास के वातावरण, परिस्थितियों और समस्याओं के साथ–साथ प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं की भी पर्याप्त जानकारी हो तभी वह सक्रिय रूप से सहभागी हो पाता है। लेकिन आंकड़े बताते है कि स्थानीय स्तर के नेतृत्व में विशेषकर ग्रामीण नेतृत्व में इस प्रकार की जागरूकता कम ही देखने को मिलती है। ग्रामीण स्तर पर

उभरा नेतृत्व शहरी नेतृत्व की तुलना में न तो समाचार पत्रों के माध्यम से ना ही टेलिविजन/रेडियों के माध्यम से समाचार जानने के प्रति उत्साहित रहता है।

- शासन कार्यों में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आम जन के दृष्टिकोण से भी कार्यों को सरल बनाने व शासन का लाभ आम जन तक पहुचाने में तकनीक प्रमुख कारक के रूप में उपयोग में लाई जा रही है। इसी कारण यह जरूरी है कि शासन से जुड़े जन नेतृत्व को इस तकनीक का ज्ञान होना आवश्यक है। वर्तमान में इंटरनेट एवं कम्प्यूटर का प्रयोग स्थानीय शासन में बहुतायत रूप से होने लगा है। किंतु शोध से पता चलता है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्थानीय नेतृत्व इस आधुनिक तकनीक से परिचित नहीं है। शहरी क्षेत्रों के नेतृत्व की स्थिति भी संतोषप्रद नहीं कहीं जा सकती जबकि ग्रामीण क्षेत्रो के नेतृत्व की स्थिति तो इस संबंध में सोचनीय है।

- स्थानीय शासन में जन भागीदारी को बढ़ाने की बात की जाती है किंतु स्थानीय स्तर पर उभर रहें नेतृत्व में जातिगत भागीदारी को देखे तो स्पष्ट है कि इन संस्थाओं में वंचित एवं पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व कानूनी बाध्यता के चलते ही प्राप्त हो रहा है। इन वर्गों से नेतृत्व आशानुरूप विकसित नहीं हो रहा है। अब भी जातिगत प्रभुत्व की मानसिकता ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही स्तर पर देखी जा सकती है।

- शहरी एवं ग्रामीण दोनो ही स्तर पर स्थानीय नेतृत्व में धर्म के आधार पर नेतृत्व का उभार संतुलित नजर नहीं आता है। मुस्लिम धर्म के लोगों को भी एक कुशल, प्रभावी, क्षमतावान नेतृत्व देने की आवश्यकता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। स्थानीय शासन से उभरा यह संतुलित नेतृत्व ही आगे के स्तरों पर हर वर्ग के प्रतिनिधित्व की दावेदारी प्रस्तुत करता है।

- विगत कुछ दशकों से राजनीति और चुनाव में धन के बढ़ते प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। चुनाव राष्ट्रीय, प्रादेशिक अथवा स्थानीय स्तर के हो धनवान प्रत्याशियों के नियम की संभावना बढ़ी है। कारण चुनाव अत्यधिक व्ययकारी होते जा रहे है। इसी कारण शोध के आंकड़े भी बताते है कि स्थानीय नेतृत्व शहरी एंड ग्रामीण दोनों ही स्तरों पर निम्न आय वर्ग से कम ही उभरा है।

- सामान्यतः यह धारणा बनी रहती है कि संयुक्त परिवार में जिम्मेदारियों के बढ़ने से पर्याप्त समय रहता है जिससे कोई व्यक्ति स्वयं को सार्वजनिक सेवाओं में लगा रहता है, किंतु शोध के आंकड़े स्पष्ट करते है कि स्थानीय स्तर पर उभर रहे नेतृत्व में एकाकी परिवार से जुड़े नेतृत्व का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन यह तथ्य भी ध्यान में रखने लायक है कि ग्रामीण पुरूष नेतृत्व की तुलना में शहरी पुरूष नेतृत्व

और ग्रामीण महिला नेतृत्व की तुलना में शहरी महिला नेतृत्व संयुक्त परिवार से ज्यादा सामने आ रहे है।

तथ्यों के विश्लेषण और प्रस्तुत निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शोध के प्रारम्भ में जिन प्राकल्पनाओं का निर्माण किया गया था, वे दोनों ही अपने दृ अपने स्थान पर सही प्रति होती है. शोध के कई तथ्य प्रमाणित करते है कि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय नेतृत्व का विकास उल्लेखनीय है, फिर भी यह तथ्य भी सही है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही स्तर के निकायों में पुरूष नेतृत्व महिला नेतृत्व की अपेक्षा अधिक कुशलता से उभरा है। इसी तरह दूसरी प्राकल्पना भी सही प्रतीत होती है कि क्षेत्रीय आधार पर ग्रामीण क्षेत्र का नेतृत्व शहरी क्षेत्र के नेतृत्व की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है।

सुझाव –

स्थानीय स्तर पर वार्ड स्तरीय नेतृत्व के जो आयाम उभरे है, और स्थानीय स्वशासन में वार्ड स्तर की महत्ती भूमिका को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यदि शासन के इस सूक्ष्म स्तर पर ही प्रभावी नेतृत्व स्थापित ओ जाये तो लोकतंत्र मजबूती के साथ उभरेगा. इस वार्ड स्तरीय नेतृत्व को प्रभावी बनाने के लिए निम्न सुझावों पर अमल किया जाना आवष्यक है–

- ग्रामीण स्तर के नेतृत्व को राजनीतिक रूप से अनुभव लेने के लिए राजनीतिक दल का सदस्य होना चाहिए, यह अनुभव उन्हें न केवल स्थानीय स्तर पर काम करने में सहजता प्रदान करेगा वरन् स्थानीय निकायों को एक पाठषाला के रूप में भी स्थापित करेगा। यह भी कहना अनुचित नहीं होगा कि महिलाओं विषेषकर ग्रामीण स्तर का महिला नेतृत्व को भी राजनीतिक दलों से जुड़ना चाहिए।

- ग्रामीण एवं शहरी दोनो ही स्तर पर पुरूष एवं महिला दोनों ही प्रकार के नेतृत्व को क्षेत्रवासियों की इच्छाओं को महत्व देते हुए निजी फैसले से चुनाव लड़ना चाहिए। महिलाओं को इसी प्रतिनिधि के रूप में परिवार पर निर्भरता कम करनी चाहिए, विषेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी तरह शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी राजनीतिक दल के समर्थन तक सीमित ना रहे बल्कि स्वयं आगे आकर अपनी काबिलियत साबित करें।

- स्थानीय स्तर पर भी पुननिर्वाचन अनुभवी नेतृत्व देने में सहायक होता है। अतः जिस तरह विधानसभाओं एवं संसद में पुननिर्वाचन को आधार बनाकर एक प्रतिनिधि कई बारा अपना नेतृत्व देने का प्रयास करता है। स्थानीय स्तर पर भी ऐसा होना चाहिए। यद्यपि रोटेशन द्वारा आरक्षण की प्रणाली इसमें बाधक है तथापि इसका प्रभावी समाधान निकालना चाहिए।

- आरक्षित वर्ग के नेतृत्व में यह भाव विकसित करने की आवष्यकता है कि बिना आरक्षण की व्यवस्था के भी वे अपना नेतृत्व स्थापित कर सकते है। यद्यपि यह प्रयास बड़ा कठिन है। इसके लिए न केवल आरक्षित वर्ग को अपनी क्षमता एवं काबिलियत स्थापित करनी होगी वरन् अन्य वर्गों को भी ऐसा माहौल देना होगा जिसमें आरक्षित वर्ग अपना नेतृत्व स्थापित कर सके।

- स्थानीय चुनावों में शहरी क्षेत्रों में तो राजनीतिक दलों की प्रत्यक्ष भूमिका दिखाती है। ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं। स्थानीय चुनाव यदि दोनों ही क्षेत्रों में निर्दलीय प्रकृति के हा तो स्थानीय मुद्दों को विषेष महत्व मिलेगा साथ ही एक सषक्त एवं प्रभावी नेतृत्व के उभरने के भी अवसर उपलब्ध होगें।

- स्थानीय निकायों के चुनाव में हर वर्ग के प्रतिनिधत्व को सुनिष्चित करने की आवष्यकता है। इसी दृष्टि से अधिक रूप से कमजोर वर्गों के सदस्यों को भी स्थानीय निकाय में जाने का अवसर मिले, इसके लिए स्थानीय निकाय के चुनावों में धन निकाय में जाने का अवसर मिले, इसके लिए स्थानीय निकाय के चुनावों में धन बल के बढ़ते प्रभाव को सीमित किए जाने की आवष्यकता है। कारण वर्तमान में धनबल के सहारे गरीब किंतु योग्य एवं सक्षम नेतृत्व भी चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे है अथवा चुनाव जीतने में असफल हो रहे है।

- स्थानी निकायों की बैठकें प्रतिदिन नहीं होती है। अतः ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही स्तर के नेतृत्व को स्थानीय निकायों की होने वाली बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए। उनकी यही नियमितता उनके प्रतिनिधित्व को चरितार्थ भी करेगी।

- एक प्रभावी नेतृत्व की स्थापना हेतु यह जरूरी है कि वार्ड स्तर ही नेतृत्व द्वारा स्थानीय समस्याओं को पहचान उन्हें स्थानीय निकायों में प्रभावी तरीकें से उठाया जाना चाहिए। साथ ही इन मुद्दों के समाधान हेतु प्रभावी प्रयास भी करवाए जाने चाहिए। इसके लिए पुरूष एवं महिला दोनों ही नेतृत्व को और अधिक सुधार की आवष्यकता है। उन्हें न केवल अपनी शक्तियों से परिचित होना चाहिए वरन् अपनी क्षमताओं को भी पहचानना होगा।

- स्थानी निकायों में स्थानीय नेतृत्व द्वारा प्रभावषाली तरीके को काम करने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें नियमों एवं कानूनों का ज्ञान हो। अभी भी स्थानीय नेतृत्व का एक बड़ा समूह (दोनों ही स्तरों पर) को नियमों की जानकारी के लिए पूर्व प्रतिनिधियों एवं प्रशासनीक अधिकारियों पर निर्भर है। उस निर्भरता को कम करते हुए स्थानीय नेतृत्व को खुद नियम कानून जानने का प्रयास करना चाहिए और सहायता एवं परामर्श में अन्य स्रोतों को उपयोग में लाना चाहिए।

- स्थानीय नेतृत्व को प्रभावी बनाने का एक सुझाव यह भी दिया जा सकता है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में पुरूष एवं महिला स्थानीय नेतृत्व को अनिवार्यतः प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागी बनना चाहिए। यह सहभागिता उनकी दक्षत, कौशल, प्रभावषीलता में वृद्धि करने में सहायक होगी।

- लोकतंत्र में जब लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत समानता की बात की जाती है। जब यह ध्यान में रखना भी आवश्यक है कि शासन में महिला नेतृत्व को भी पुरूष नेतृत्व के समान महत्व मिले। यह महत्ता, जहाँ महिला नेतृत्व को अपनी कार्यक्षमता प्रमाणित करके पानी होगी, वहीं पुरूष समाज न केवल महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने में सहयोग करके वरन् महिला नेतृत्व को सामाजिक राजनीति–स्वीकृति प्रदान करके भी सीापित कर सकता है। इस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

- स्थानीय शासन अधिक सफलता एवं कुशलता से कार्य करें इसके लिए जन प्रतिनिधियों एवं नेतृत्व का पुनर्निवाचित होना आवश्यक है। अतः स्थानीय स्तर पर पुरूष एवं महिला दोनों ही प्रकार के नेतृत्व के, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, पुननिर्वाचन के लिए आगे आना चाहिए ताकि वे अपने अनुभवों से न केवल क्षेत्र वासियों के लिए कारगर साबित होगें वरन् यह लोकतंत्र के भी मजबूती प्रदान करेगा।

- जनता के प्रत्येक वर्ग की स्थानीय शासन में भागीदारी को सैद्धांतिक तौर प सुनिश्चित करना ही पर्याप्त नहीं है। समाज में ऐसा वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता है, जहाँ आरक्षित वर्ग का नेतृत्व आरक्षण रूपी बैसाखियों के बिना भी स्वयं को खड़ा कर पाने में सक्षम मानें। इसके लिए प्रभुत्वशाली वर्गों, व्यक्तियों एवं समूहों के प्रभाव को सीमित किए जाने की आवश्यकता है। इन वर्गों के नेतृत्व को भी अपने आप को प्रभावी एवं शसक्त रूप में प्रस्तुत करना होगा ताकि इनकी क्षमता, काबिलियत एवं नेतृत्व पर भरोसा किया जा सके। साथ ही गैर आरक्षित वर्ग के सदस्यों को भी अपनी परंपरागत मानसिकता का त्याग करते हुए आरक्षित वर्ग के नेतृत्व को मान्यता देनी होगी।

- स्थानीय स्तर के नेतृत्व को यदि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की राजनीति में पावं जमाना है तो स्वयं को जागरूक बनाना आवश्यक है। विशेषकर ग्रामीण नेतृत्व को इस दिशा में विशेष प्रयास की जरूरत है। यदि स्थानीय नेतृत्व स्वयं को मजबूत बना पाता है, तो निसंदेह उनके प्रतिनिधित्व के बढ़ते दायरे को रोका नहीं जा सकता।

- स्थानीय नियमों में कार्य संचालन एवं शासन कार्यों में बढ़ते तकनीकी प्रयोग के चलते एवं स्थानीय स्तर पर उभर रहे नेतृत्व को भी तकनीकी ज्ञान से समृद्ध होना आवश्यक है। इसके लिए उन्हें न केवल जागरूक रहना होगा वरन् तकनीक के प्रयोग को अपनी जिंदगी एवं दिनचर्या में भी बढ़ावा देना होगा।

- स्थानीय नेतृत्व को ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में पर्याप्त जन भागीदारी वाला बनाना आवश्यक है। इस दृष्टि से स्थानीय नेतृत्व में हर जाति, वर्ग, धर्म, वालों को आगे आकर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहिए। सहभागी लोकतंत्र में प्रत्येक स्तर की समानता ही लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र बनाती है।

अंततः कहा जा सकता है कि लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए सैद्धांतिक स्तर पर कई प्रावधान है, इन प्रावधानों को व्यावहारिक स्तर पर प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है। इस शोध में तुलनात्मक रूप से यह बताने का प्रयास किया गया है कि शहरी एवं ग्रामीण शासन में वार्ड स्तर के नेतृत्व की प्रकर्ति क्या है. नेतृत्व का जो भी तुलनात्मक स्वरुप उभरा है उसके पीछे निहित कारणों को जानना शोध का आगामी चरण है, जो शोध के ज़रिये स्थानीय शासन को और नए दृष्टिकोण प्रदान करेगा। फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष एवं सुझाव भी स्थानीय शासन को उसके दोनों रूपों में समझने और उनको प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है।